उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रूड़की।

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय सेवा परीक्षा–2011

आवेदन पत्र भरने हेतु आयु सीमा में छूट एवं अंतिम तिथि में संशोधन की सूचना

माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल के अन्तर्गत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय सेवा परीक्षा–2011 हेतु ओ0एम0आर0 आवेदन पत्रों का विक्रय दिनांक 14 जून 2011 से 9 जुलाई 2011 के मध्य निर्धारित डाकघरों के माध्यम से किया जा रहा है। उक्त पदों के लिये आवेदन पत्र भरने हेतु आयु सीमा में छूट एवं आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः–

1. कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या 962/**XXX(2)/2011 3(1)2010** दिनांक 24 जून 2011 के क्रम में लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों पर चयन हेतु निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में केवल एक बार के लिये 05 वर्ष की छूट प्रदान की जाती है। अतः शासनादेश के अनुपालन में उत्तराखण्ड अधीनस्थ सिविल न्यायालयों में लिपिक वर्गीय सेवा परीक्षा–2011 हेतु निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाती है।
2. माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल के पत्र सं 3160/**UHC/Admin.B/recruitment/2011** दिनांक 28 जून 2011 के अनुपालन में आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 9 जुलाई 2011 से बढ़ाकर 23 जुलाई 2011 निर्धारित की जाती है। विज्ञापन की शेष शर्तें पूर्ववत् रहेगी।

सचिव